



2026:AHC:53961

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक अपील संख्या - 1490/2026

नरेंद्र और अन्य

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : राहुल सहाय, सौमित्र आनंद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I श्री जितेन्द्र कुमार को सुना गया।
2. कार्यालय की आख्या के अनुसार, प्रतिवादी/सूचनाकर्ता को नोटिस की तामील हो चुकी है, किन्तु उक्त प्रतिवादी की ओर से अपील का विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत, अपीलकर्ताओं द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 03.12.2025 को विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, मथुरा द्वारा विशेष शिकायत वाद संख्या 46/2020 (श्रीमती अनीता बनाम नरेन्द्र एवं अन्य), थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा में पारित आक्षेपित समन आदेश को निरस्त किया जाए। उक्त वाद भा.दं.सं. की धाराओं 294, 323, 504, 506 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(X) से संबंधित है।
4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुकदमा अपराध संख्या 532/2018 में भा.दं.सं. की धाराओं 147, 148, 149, 307, 452, 386, 323, 504, 427, 506 के अंतर्गत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता संख्या-2 द्वारा दिनांक 23.09.2018 को प्रतिवादी/सूचनाकर्ता के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी, जिसमें घटना दिनांक 19.09.2018 बताई गई थी। उक्त मामले की विवेचना हुई और आरोपपत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय ने संज्ञान ले लिया। इसके प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी/सूचनाकर्ता ने भी उसी दिनांक 19.09.2018 की घटना बताते हुए, किन्तु घटना का स्थान बदलकर, मुकदमा अपराध संख्या 536/2018 में वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई। उक्त एफ.आई.आर. की विवेचना में आरोप असत्य पाए गए और अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई। उक्त अंतिम आख्या को प्रतिवादी/सूचनाकर्ता ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल कर चुनौती दी, जिसे स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने उसे शिकायत वाद में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात, परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। किन्तु, कोई नवीन सामग्री सामने न आने के बावजूद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को समन कर दिया। यह आदेश धारा 204 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि विवेचना के दौरान कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। समस्त कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित है और केवल प्रतिवादी के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. से बचाव हेतु की गई है।

5. विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को शिकायत वाद में परिवर्तित करने के पश्चात की कार्यवाही स्वतंत्र होती है और उसका विवेचना में संकलित सामग्री से कोई संबंध नहीं होता। जब न्यायालय ने विवेचक की अंतिम आख्या से असहमति व्यक्त कर दी, तब उसके लिए विवेचना सामग्री पर पुनः विचार करना आवश्यक नहीं है। विचारण न्यायालय ने परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथनों पर विचार कर धारा 204 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत समन आदेश पारित किया है, अतः उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया गया तथा संपूर्ण अभिलेख, जिसमें आक्षेपित आदेश भी सम्मिलित है, का अवलोकन किया गया।



7. अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की है। अपीलकर्ता द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. अंततः आरोपपत्र में परिणत हुई, जबकि प्रतिवादी द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई, जिसे विचारण न्यायालय ने अस्वीकार कर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के आधार पर शिकायत वाद में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात परिवादी एवं उसके तीन साक्षियों के कथन दर्ज किए गए, जिन सभी ने परिवादी के कथन का समर्थन किया। विचारण न्यायालय ने इन कथनों का विस्तार से विश्लेषण किया और पर्याप्त आधार पाकर अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि की है। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

8. तदनुसार, यह आपराधिक अपील **निरस्त** की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

17 मार्च, 2026

एस. के.